

**कार्यालय,
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
पल्लार प्रवेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्प्रदाय/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिकांश प्राथमिक स्कूलों को शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यक्रमिता अधीन इम्प्लेंट, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विस्तार प्राप्त प्राथमिक स्कूलों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, पल्लार लखनऊ से सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अलग-अलग प्राथमिक शिक्षा परिषद, पल्लार लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्प्रदाय/पूर्व से संपादित संस्थाओं को सम्प्रदाय विस्तार/पल्लार/प्रवेश द्वारा वृद्धि प्रदान किया गया पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

पल्लार की अनुमति में सम्प्रदाय समिति की बैठक के पर-3 में निर्धारित इन स्कूलों को अनुमोदन संपादित करने वाली पूर्व से सम्प्रदाय संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा प्रदान विचार-विमर्श का निष्पत्ति निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित निम्नलिखित इन स्कूलों को अनुमोदन संपादित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, पल्लार लखनऊ से पूर्व से सम्प्रदाय हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें संभावित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्ध अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश सत्रों के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आर्य सम्प्रदाय समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, पल्लार लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन एवं प्रवेश अंकित प्रवेश सत्रों हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश सत्र	पीठसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश सत्र
1	आर्य	श्री अमर आर्यु मिड इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कॉलेज, दिल्ली-पल्लार, पल्लार- मुम्बई/लखनऊ, अरुंधती।	विस्तार इन स्कूलों	आ	आ

सम्प्रदाय हेतु शर्तें

- ✓ संस्था (पीठसीआईओ/पीठसीआईओ) द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों के अन्तर्गत विनियमों-2018 तक अन्य निर्मित विस्तार एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 20,00,000/- (दो करोड़) की दर पर राज्यीय पाठ्यक्रम हेतु ₹ 20,00,000/- (दो करोड़) एवं एक वर्ष की दर पर पाठ्यक्रमों (दो करोड़) राज्यीय पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु ₹ 20,00,000 (दो करोड़) शुल्क ही प्रवेश सत्र/प्रवेश से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त की अतिरिक्त प्रवेश/प्रदायों से शुल्क की सम्प्रदाय में सत्र-सत्र का


 Dr. Anurag Prakash Singh Institute
 of Pharmacy
 Lucknow

कार्यालय

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या: प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्याक: दिनांक: 08/08/2021

प्रस्तावित प्रस्ताव

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंट्रल सत्र 2021-22 हेतु विदेशीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2076-SHRI AMAR BAHADUR SINGH INSTITUTE OF PHARMACY VILL-DADRA TEHSIL-MUSAFIRKHANA, AMETHI-227913			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/ईं/पी/सी/आई/सी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/ईं/पी/सी/आई/सी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधित विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क अर्थात् वर्षीय इन्सी/पाठ्यक्रमों हेतु ₹70-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹70-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹70-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्णय किये जाने वाले वास्तविक प्रभावशील होंगे, और उदनुसार अर्पणही किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के रिजल्ट रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीटों/ईं/पी/सी/आई/सी से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों/अविनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, निर्देशों/आदेशों, निर्देशों का

संघर्ष

संघर्ष प्रविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- संघर्ष/परिषद संघीय सम्बद्धता/2023/10778

संलग्नक: दिनांक: 15/12/2023

आर्पित्य प्राप्त

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2022-23 हेतु विदेशीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा सम्मेलनों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 28/08/2023 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अपेक्षित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

पीसीई-आई के पत्र संदर्भ संख्या 14-443/2023-PCIE/Approval Process 2022-2023/14705-08 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत संस्थाओं से पूर्व में दृष्टि किये जाने के निरंतर एफो-आई/एफो-आई पर अपेक्षित करों का भुगतान करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन संस्थाओं के साथ-साथ साथ-साथ पर लेकर सहाय की गई प्रवेश क्षमता को सम्बद्धता प्रदान करने के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एफो-आई/एफो-आई पर भुगतान करना होगा।

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	पीसीई-आई द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु प्रदान संशोधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एफो-आई/एफो-आई/पीसीई-आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, संशोधित विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तालिका के अंतर्गत प्रवेश करों हेतु रकम 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पठ्यक्रम हेतु रकम 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रकम 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रस्तावना से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रवेश/आवक्यों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सल्लाह प्राप्त निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन करेगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीघ्र निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, तो प्रवेश की गतिविधि को रद्द करेगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अपेक्षित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विनियमों/अतिरिक्त/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये निर्देश, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थाओं का एफो-आई/एफो-आई/पीसीई-आई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सुनवाई के लिए संस्था का समय और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये निर्देश, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्यकारी है।

